शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 48 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 48 अंक – 1 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पर्जीकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 2 – 9 जनवरी 2023 मूल्य पांच रूपए

क्या भाजपा की याचिका प्रशासन के षड्यन्त्र का परिणाम है याचिका में आये मुद्दों से उठी चर्चा

- ग्यारह दिसम्बर को शपथ लेने के बाद बारह दिसम्बर को ही फैसला क्यों
- मन्त्रीमण्डल के फैसलों की समीक्षा विधायकों की कमेटी में कैसे संभव है
- नागरिक उपमण्डल कार्यालय खोलने के लिये जब उच्च न्यायालय की अनुमति चाहिये तो बन्द करने के लिए भी क्यों नहीं चाहिये
- बिजली बोर्ड का कोई भी कार्यालय सर्विस कमेटी की अनुमति के बिना नहीं खुल सकता
- इस सर्विस कमेटी का मुखिया प्रदेश का मुख्य सचिव या अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त होता है
- क्या डिनोटिफिकेशन के फैसले याचिका के आड में शीर्ष प्रशासन पर सवाल नहीं उठते?

शिमला/शैल। सुक्खू सरकार ने पिछली जयराम सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2022 से 13 – 10 – 2022 तक खोले गये सारे संस्थानों को 12 – 12 – 2022 को एक फैसला लेकर बन्द करने के आदेश जारी किये हैं। अब इन आदेशों को भाजपा ने अपने प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप के माध्यम से उच्च न्यायालय में एक याचिका डालकर चुनौती दे दी है। सरकार पर आरोप लगाया गया है कि उसने बिना किसी समुचित विचार विमर्श के केवल राजनीतिक द्वेष से ग्रसित होकर यह आदेश जारी किये हैं। इस पर सरकार के महाधिवक्ता ने उच्च न्यायालय में यह दलील रखी है कि भाजपा अध्यक्ष को यह याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है। इस परिपेक्ष में उच्च न्यायालय का क्या मत रहता है यह देखना आवश्यक हो जाता है और तब तक इस पर कोई राय रखना संगत नहीं होगा।

लेकिन सरकार के इस फैसले से प्रदेश की राजनीति में एक उबाल आ गया है। प्रदेश के हर भाग में भाजपा इस फैसले के खिलाफ धरने प्रदर्शनों पर आ गयी है। नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पहले दिन ही अपनी प्रतिक्रिया में स्पष्ट कर दिया था कि इन फैसलों को अदालत में चुनौती दी जायेगी और अब इस आश्य की याचिका भी दायर हो गयी है। यह विषय गंभीर है इसलिये इसके गुण दोषों पर टिप्पणी किये बिना याचिका में रखे गये तथ्यों को ही कुछ प्रश्नों के साथ जनता के सामने रखना होगा। क्योंकि यह याचिका प्रदेश के शासन और प्रशासन पर कई गंभीर सवाल खड़े करता है। जिनके परिणाम शायद इस सरकार के पूरे कार्यकाल में प्रसांगिक रहेंगे।

विधानसभा के चुनाव परिणाम 8 दिसंबर को आये कांग्रेस को बहुमत मिला और उसकी सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई। परिणामत: सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस विधायक दल के नेता चुन लिये गये और ग्यारह दिसम्बर को उन्हें मुख्यमंत्री और मुकेश अग्निहोत्री को उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गयी। इस दो सदस्यों की सरकार ने बारह दिसंबर को ही पिछली सरकार के फैसलों पर यह फैसला ले लिया जिसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी है। एक अप्रैल से 22 अक्तूबर 2022 तक जयराम सरकार ने सैकड़ों संस्थान खोले थे जो इस फैसले से बन्द कर दिये गये हैं। क्या इतना बड़ा फैसला लेने के लिये एक दिन का ही समय लेना समुचित विचार विमर्श के लिये पर्याप्त समय हो सकता है यह सवाल उठाया गया है। इसी के साथ यह भी आरोप है कि पिछली सरकार के पूरे मन्त्रीमण्डल द्वारा लिये गये फैसलों की समीक्षा विधायकों की एक कमेटी ने की है। संबद्ध विधायकों ने एक पत्रकार वार्ता में यह स्वयं स्वीकारा भी हैं। विधायकों ने यह सब शपथ लेने से और कमेटी के औपचारिक गठन के बिना ही ऐसा किया है। क्या विधायक मन्त्रीमण्डल के फैसलों पर सदन के बाहर कोई अधिकारिक चर्चा कर सकते हैं यह सवाल भी उठाया गया है।

तहसील देहरा के रक्कड़ और कोटाला बेहड़ में दो एसडीएम कार्यालय खोले गये थे यह कार्यालय खोलने की प्रक्रिया में प्रदेश उच्च न्यायालय से भी अनुमति लिया जाना अनिवार्य होता है। याचिका में कहा गया है कि यह वांच्छित अनुमतियां लेकर ही यह उपमण्डल नागरिक के कार्यालय खोले गये थे। स्वभाविक है कि इन्हें बन्द करने के लिए भी उच्च न्यायालय की अनुमति वांछित होगी। सरकार के इस फैसले पर उच्च न्यायालय की प्रतिक्रिया क्या रहेगी यह आने वाले दिनों में पता चलेगा। इसी तरह राज्य बिजली बोर्ड के कार्यालय खोलने के लिये भी विभिन्न स्तरों की लंबी प्रक्रिया रहती है। अंत में इस आशय के सारे प्रस्ताव विद्युत बोर्ड की सर्विस कमेटी के पास जाते हैं। बिजली बोर्ड की सर्वोपरि कमेटी है इसकी अनुमति के बिना बोर्ड में कुछ नहीं घट सकता। स्वभाविक है कि बोर्ड के कार्यालय बन्द करने के लिये भी यही प्रक्रिया रहेगी। इस सर्विस कमेटी का मुखिया सरकार का मुख्य सचिव या अतिरिक्त मुख्य सचिव रहता है। याचिका में यह तथ्य दर्ज है इसका अर्थ है कि सुक्खू सरकार के मुख्य सचिव और मुख्य सूचना आयुक्त इस प्रक्रिया के अंग रहे हैं। इनकी सहमति के बिना विद्युत बोर्ड में न कोई कार्यालय खुल सकता है और न ही बन्द हो सकता है।

इस याचिका से यह स्पष्ट हो जाता है कि पूर्व सरकार के इन संद्धर्भित फैसलों में प्रदेश के मुख्य सचिव और वित्त सचिव की भूमिका प्रमुख रही है और आज भी है। ग्यारह दिसम्बर को शपथ लेने के बाद बारह दिसम्बर को ही सरकार ने यह फैसला ले लिया। यह फैसला लेने के लिये विधायकों की जिस कमेटी की सिफारिशों को आधार बनाया गया उसकी शायद बैठक ही इस फैसले के बाद हुई है। कांग्रेस ने चुनावों में ही स्पष्ट कर दिया था कि वह जयराम सरकार के फैसलों की समीक्षा करेगी। शीर्ष प्रशासन को इसकी जानकारी थी। प्रशासन को यह भी पता था कि जिस तरह से फैसला लेने के लिये एक तय प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है उसी तरह फैसला पलटने के लिये भी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि संस्थान बन्द करने का फैसला लेने के बाद प्रशासनिक विभागों से इस आशय के प्रस्ताव लिये जा रहे हैं। ऐसे में यह स्वभाविक सवाल उठ रहा है कि यदि संस्थानों को बन्द करने का फैसला लेने से पहले इनकी उपोदयता और प्रसंगिता को लेकर एक विधिवत व्यवहारिक रिपोर्ट ले ली जाती तो न ही भाजपा को पहले ही दिन सडकों पर उतरने का मौका मिलता और न ही इस तरह की कोई याचिका उच्च न्यायालय में आने की नौबत आती। यह एक तकनीकी और वैधानिक मुद्दा था और इस पर शीर्ष प्रशासन को राजनीतिक नेतृत्व के सामने सारी स्थिति विस्तार से रखनी चाहिये थी। लेकिन शायद ऐसा हो नहीं पाया। बल्कि संयोग ऐसा घटा कि जब प्रशासन के शीर्ष पर 31 दिसम्बर रात को मुख्य सचिव और मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्तियों के फैसलों पर पहली जनवरी को अनुपालना सुनिश्चित होने के बाद दो जनवरी को भाजपा की है याचिका उच्च न्यायालय में दायर हो जाती है। इस याचिका में जिस तरह से कुछ तकनीकी पक्षों को उभारा गया है उससे यह गंध आती है कि प्रशासन ने जानबूझकर सरकार को उलझाने का प्रयास किया है।

राज्यपाल ने निःक्षय मित्र योजना के तहत क्षय रोगियों को अपनाने का आह्वान किया

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन में प्रदेश के छह विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। राज्यपाल ने 'निःक्षय मित्र योजना' के अंतर्गत शिक्षा संकायों को क्षय रोगियों को अपनाने और विद्यार्थियों को इस दिशा में जागरूक व प्रेरित करने पर विशेष बल दिया।

राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में

क्षय रोगियों की संख्या बहुत कम है और विश्वविद्यालय जिला स्तर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के साथ समन्वय स्थापित कर इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य करके अपना योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ होने के नाते विश्वविद्यालय शिक्षा की दशा और दिशा तय करते हैं और उनके कार्यों की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए। प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र को अग्रणी बनाना हम सभी का सामूहिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि कुलपति विषय-विशेषज्ञ होते हैं और भविष्य की नीति निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

आर्लेकर ने कहा कि विश्वविद्यालयों के परीक्षा परिणाम निर्धारित समय में घोषित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि ऑनलाइन मूल्यांकन पद्धति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय परिसरों में औषधीय पौधे लगाये जाने चाहिए और सभी विद्यार्थियों को इनके मिलने वाले लाभों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए कृषि और बागवानी विश्वविद्यालयों को मिलकर नॉन क्रेडिट कोर्स तैयार कर इसे अन्य विश्वविद्यालयों के साथ साझा करना चाहिए ताकि विद्यार्थियों के माध्यम से हर घर में औषधीय पौधे पहुंच सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से मातृभाषा में शिक्षा का विस्तार किया जा रहा है। विशेष रूप से तकनीकी और व्यावसायिक पाठयक्रमों को इस दायरे में लाने पर विचार किया जाना चाहिए।

उन्होंने विश्वविद्यालय स्तर पर युवा रेडक्रॉस गतिविधियों के विस्तार पर बल देते हुए कहा कि इन इकाइयों को और अधिक सक्रिय करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हर स्तर पर इकाइयों का गठन किया जाए तथा प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण और अन्य सामाजिक गतिविधियों को भी इसमें शामिल किया जाए। उन्होंने अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ाने और इसके माध्यम से आम लोगों को होने वाले लाभों पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया। उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मानककृत प्रणाली के आधार पर नैक से मान्यता प्राप्त करने के निर्देश दिया।

इस अवसर पर सभी कुलपतियों ने उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता को और बढ़ाने की आवश्यकता पर महत्वपूर्ण सुझाव और विचार साझा किए।

कार्यवाही का संचालन राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा ने किया।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एस.पी. बंसल, चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति प्रो. एच. के. चौधरी, डॉ.वाई.एस. परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन के कुलपति डॉ. राजेश्वर चंदेल, हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर के कुलपति प्रो. शशि कुमार धीमान, अटल चिकित्सा एवं शोध विश्वविद्यालय नेरचौक मंडी के कुलपति डॉ. सुरिंदर कश्यप और सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के कुलपति प्रो. देव दत्त शर्मा भी उपस्थित थे।

प्राकृतिक आपदा प्रभावित परिवारों को 24 घंटे में जारी होगी सहायता राशि

शिमला/शैल। वर्तमान प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में अपने सामाजिक सरोकार के दायित्व का निर्वहन करते हुए नवोन्मेषी पहल

की है। प्रदेश सरकार ने अधिसूचित प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को 25 हजार रुपये की सहायता राशि तुरंत जारी करने के निर्देश दिए हैं। इस संदर्भ में जरूरी दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

निदेशक एवं विशेष सचिव राजस्व सुदेश मोक्टा ने बताया कि प्राकृतिक आपदा के कारण मृत्यु होने पर मृतक के निकटस्थ सम्बन्धी को 24 घंटे के भीतर सहायता राशि जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। प्राकृतिक आपदा के कारण मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों को चार लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करने का प्रावधान है। इसमें से 25 हजार रुपये की सहायता राशि 24 घंटे के भीतर और शेष राशि भी चार दिन के भीतर जारी कर दी जाएगी। पूर्व में यह राशि जारी होने में अधिक समय लगता था।

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों यदि वह आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर नहीं होते हैं, तो उन्हें न्यूनतम 5000 रुपये की सहायता राशि प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने के उपरांत सामाजिक दायित्वों के निर्वहन को सर्वोच्च अधिमान दिया है। बात चाहे, विभिन्न संस्थाओं के आवासियों को उत्सव अनुदान की हो या फिर उनकी उच्च शिक्षा के लिए महत्वाकांक्षी योजना 'मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष' के गठन की। प्रदेश सरकार ने अपने निर्णयों से साबित किया कि सरकार समाज के वंचित और जरूरतमंद वर्गो के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने अपना पहला वेतन मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष में प्रदान किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने सामाजिक सरोकार के दायित्व का निर्वहन करते हुए मानवीय संवेदनाओं के साथ नवोन्मेषी पहल की है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना पहला वेतन प्रदेश सरकार द्वारा गठित मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष में प्रदान किया है।

मुख्यमंत्री ने नव वर्ष के पावन अवसर पर प्रदेश में सुखाश्रय कोष स्थापित करने की घोषणा की थी, ताकि इस कोष के माध्यम से प्राप्त राशि से जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा प्रदान की जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित यह सहायता कोष समाज में वंचित रहे बच्चों और महिलाओं को आगे बढ़ने में मदद करेगा। इससे वह अपने जीवन के ध्येय को प्राप्त करने के लिए निरन्तर आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर देश और समाज की प्रगति और खुशहाली में अपना योगदान सुनिश्चित करने का अवसर भी प्राप्त होगा।

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा 'यह कदम करुणा नहीं, बल्कि अधिकार है।' मुख्यमंत्री की इस पहल से न केवल जनप्रतिनिधि बल्कि आम नागरिक भी इस कोष में योगदान के लिए प्रेरित होंगे।

पेड़ों की कटाई-छंटाई का कार्य वर्षा होने तक पूर्ण रूप से बंद करें

शिमला/शैल। उद्यान विभाग के एक प्रवक्ता ने जानकारी दी कि प्रदेश में सूखे जैसी स्थिति से निपटने के लिए बागवानी विभाग द्वारा जिला कार्यालयों को एक करोड़ रुपये की धनराशि एवं आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सूखे से हुए नुकसान का आकलन करने के पश्चात इस स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सामग्री जैसे पौध सामग्री, पानी के टैंक, पाइप्स, दवाइयां एवं सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करने के लिए इस धनराशि का उपयोग किया जाएगा।

उन्होंने बागवानों को सलाह देते हुए बताया कि प्रदेश में इस स्थिति में नुकसान को कम करने के लिए उन्हें नमी का संरक्षण करना चाहिए। इसके लिए खेतों मे प्लास्टिक मल्च का प्रयोग करें। पेड़ के तौलिये में जैविक पदार्थ जैसे की सूखी घास एवं धान की तूडी इत्यादि का उपयोग नमी को संरक्षित करने के लिए भी किया जा सकता है। सूखे के दौरान पौधों में बोरोन और कैल्शियम की कमी हो जाती है। इस कमी को दूर करने के लिए 0.1 प्रतिशत बोरिक एसिड एवं 0.5 प्रतिशत कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग करें।

प्रवक्ता ने उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बागवानों को यह सलाह दी है कि फलों के पेड़ों की कटाई एवं छंटाई के कार्य वर्षा होने तक पूर्ण रूप से बंद कर दें ताकि नुकसान से बचा जा सके।

उन्होंने बताया कि शीतोष्ण फल पौधों को लगाने का आजकल उपयुक्त समय है। यह फल पौधे मार्च के महीने तक रोपित किये जा सकते हैं लेकिन इस माह में इन फल पौधों का रोपण उपयुक्त रहेगा। टेढ़े-मेढ़े पहाड़ी और अधिक ढलान वाले क्षेत्रों में साधारणतया फल पौधों को कन्टूर विधि द्वारा लगाया जाना चाहिए। छोटे खेतों में बागवान खेतों के मध्य में उचित दूरी पर फलदार पौधों का रोपण करें। खेतों की ढलान अन्दर की ओर रखें जिससे वर्षा के पानी का सही उपयोग हो सके और भूमि कटाव भी कम हो।

प्रवक्ता ने बताया कि फल पौधे लगाते समय जड़ों को उनकी सही दिशा में फैला देना चाहिए। पौधों को पौधशाला की भांति ही स्वाभाविक गहराई तक दबा कर रोपित करें। मौसम की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए फल पौधों को लगाने के पश्चात् इनकी सिंचाई अवश्य करें और इसमें मल्च का उपयोग करें जिससे कि नमी को ज्यादा समय तक संजोकर रखा जा सके।

भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में लगेंगे पूर्व चेतावनी यंत्र

शिमला/शैल। कांगड़ा जिला प्रशासन जिले में बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में घटना से पहले चेतावनी उपलब्ध कराने को चार जगहों पर पूर्व चेतावनी यंत्र लगाने जा रहा है। आईआईटी मंडी द्वारा विकसित यह प्रणाली भूस्खलन की पूर्व चेतावनी देने में बेहद कारगर है।

उपायुक्त डॉ. निपुण ने बताया कि भूस्खलन पूर्व चेतावनी यंत्र धर्मशाला के मैकलोडगंज रोड़ और चोला इंदुनाग तथा शाहपुर के डिब्बा और रूलेहड़ में लगाए जाने हैं। इस कार्य को इसी महीने में पूरा कर लिया जाएगा।

उपायुक्त ने बताया कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कांगड़ा ने आईआईटी मंडी के साथ मिलकर जिले में 10 जगहों पर भूस्खलन पूर्व चेतावनी यंत्र लगाने का करार किया है। यह कार्य तीन चरणों में किया जाना है। पहले चरण में धर्मशाला उपमंडल के मैकलोडगंज रोड़ और जयसिंहपुर उपमंडल के संधोल में यह यंत्र लगाये गये हैं। दोनों जगहों पर यह ठीक तरीके से कार्य कर रहे हैं। दूसरे चरण में अब धर्मशाला और शाहपुर की चार जगहों पर भूस्खलन पूर्व चेतावनी यंत्र लगाये जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि इसके बाद, आईआईटी मंडी के विशेषज्ञों की एक टीम तीसरे चरण में लगाए जाने वाले चार यंत्रों के लिए सर्वे कर भूस्खलन संभावित क्षेत्रों को चिन्हित करेगी। तीनों चरण मार्च 2023 से पहले पूरे कर लिए जाएंगे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा

सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज

विधि सलाहकार: ऋचा

अन्य सहयोगी

राजेश ठाकुर

अंजना

संजय गुप्ता ने राज्य में रोपवे संपर्क को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया

शिमला/शैल। संजय गुप्ता ने रोपवे एवं रैपिड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (आर.टी.डी.सी.) के अध्यक्ष एवं महाप्रबंधक का पदभार संभालने के उपरांत आर.टी.डी.सी. के अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि रोपवे परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए नाबार्ड (आर.आई.डी.एफ.) के साथ लिया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि 1546.40 करोड़ रुपये लागत की 14.69 किलोमीटर की शिमला अभिनव शहरी परिवहन परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट शीघ्र पूरी की जाए और न्यू डेवलपमेंट बैंक (एन.डी.बी.) के साथ बैठक में इस विषय में चर्चा की जाए।

संजय गुप्ता ने रोपवे परियोजनाओं को निजी भागीदारी से भी पी.पी.पी. मोड में विकसित किए जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए राज्य में जाबली- कसौली रोपवे परियोजना, नारकंडा -हाटू रोपवे और अन्य परियोजनाओं में इच्छुक प्रमोटरों को सुविधा प्रदान करने के प्रयास करने के लिए कहा।

उन्होंने निर्देश दिए कि जिला मंडी में नाबार्ड (आर.आई.डी.एफ.) के वित्त पोषण से माता बगलामुखी के लिए आर.टी.डी.सी. द्वारा शुरू की गई पहली यात्री रोपवे परियोजना जून, 2023 तक पूरी की जानी चाहिए।

उन्होंने आर.टी.डी.सी. को अगले पांच वर्षो में प्रत्येक जिले में कम से कम एक रोपवे विकसित करने के लिए प्रयास करने के निर्देश दिए ताकि कनेक्टिविटी, रोजगार सृजन के साथ-साथ पर्यटन क्षमता को बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटन, शहरी परिवहन, ग्रामीण कनेक्टिविटी, बागवानी और कृषि उत्पादों की ढुलाई के लिए रोपवे कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सशक्त प्रयास किए जाने चाहिए।

बैठक में निदेशक आर.टी.डी.सी. अजय शर्मा एवं मुख्य महाप्रबंधक आर.टी.डी.सी. रोहित ठाकुर उपस्थित थे।

प्रदेश सरकार पारदर्शी, उत्तरदायी और जवाबदेह प्रशासन के लिए प्रतिबद्धः सुखविंदर सिंह सुक्खू

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में आयोजित विशाल जन आभार रैली को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार लोगों को पारदर्शी, उत्तरदायी और जवाबदेह प्रशासन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिले भारी जनादेश के लिए कांगड़ा जिले के लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए इस जन आभार रैली का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने के उपरांत सुखविंदर सिंह सुक्खू का जिले का यह पहला दौरा था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार सत्ता-सुख भोगने के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था में परिवर्तन के लिए सत्ता में आई है। पूर्व भाजपा सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिना बजटीय प्रावधान 900 से अधिक संस्थान खोल दिए। विधानसभा चुनावों को देखते हुए पूर्व सरकार ने केवल मतदाताओं को लुभाने के लिए यह सब किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान चल रहे एक बड़े पेपर लीक घोटाले का भंडाफोड़ किया है। राज्य सरकार ने युवाओं के हित में साहसिक निर्णय लेते हुए आयोग के कामकाज को निलंबित किया है। उन्होंने प्रदेश के युवाओं को आश्वस्त किया कि वर्तमान राज्य सरकार विभिन्न पदों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित करवाएगी।

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार कांग्रेस पार्टी के वायदे के अनुसार सभी दस गारंटी अक्षरशः लागू करेगी। पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लागू किया जाएगा और 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये देने का निर्णय भी शीघ्र लिया जाएगा। इसी प्रकार, शेष गारंटियों का भी चरणबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार को भाजपा नेता पचा नहीं पा रहे और निराधार बयानबाजी कर रहे हैं। प्रदेश की जनता ने तथाकथित डबल इंजन सरकारों को पूरी तरह से नकार दिया है। पिछली राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान नौकरियां की खुली बोली लगाई जा रही थी। ऐसे में वर्तमान राज्य सरकार ने सत्ता में आने के तुरंत बाद एचपीएसएससी के कामकाज को निलंबित कर दिया है। उन्होंने भाजपा नेताओं को धैर्य रखने और एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाने की सलाह भी दी।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 21 दिनों के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। गरीब और जरूरतमंद बच्चों को वांछित उच्च शिक्षा के लिए समुचित आर्थिक सहायता राशि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्तमान राज्य सरकार ने 101 करोड़ रुपये का मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष के गठन का निर्णय लिया है।

सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा प्रतिभा सिंह ने हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत के लिए राज्य के लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि लोगों के भारी समर्थन के फलस्वरूप ही कांग्रेस राज्य में सरकार बनाने में सफल रही है। प्रदेश में विकास की गति को और तीव्र करने के लिए संगठन एवं सरकार पूर्ण समन्वय से कार्य करेंगे ताकि विकास की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश अग्रणी राज्य बन कर उभर सके।

धर्मशाला के विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री को जिला कांगड़ा के सभी विधायकों द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश समृद्धि और विकास के पथ पर अग्रसर होगा।

नगरोटा बगवां से विधायक आरएस बाली ने कहा कि जिले के लोगों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर पूरा विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का हर आम आदमी सौभाग्यशाली है कि पार्टी का एक जमीनी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के सर्वोच्च पद तक पहुंचा है।

शाहपुर से विधायक केवल सिंह पठानिया ने मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जिले की जनता ने 15 में से 10 सीटें देकर कांग्रेस को प्रचंड जनादेश दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण पर विशेष बल देते हुए राज्य के समग्र विकास के उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का शुभारंभ किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के धर्मशाला से राज्य स्तरीय हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस

अध्यक्षा प्रतिभा सिंह और अन्य कांग्रेस के नेता विशेष रूप से उपस्थित रहे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की सफल भारत जोड़ो यात्रा का विस्तारित रूप है। उन्होंने कहा कि यह अभियान पूरे राज्य में 26 जनवरी, 2023 से शुरू होगा और दो माह तक गांव और खण्ड स्तर तक पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत हर गांव में कम से कम एक बैठक सुनिश्चित की जाएगी।

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस अभियान को विस्तृत रूप से प्रचारित करने के लिए आउटडोर विज्ञापन की रणनीति बनाई जाए और इसके प्रचार में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को भी व्यापक रूप से शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्राम स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाये जाने चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस महीने की 19 तारीख को हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने के साथ श्रीनगर में समाप्त होगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा शुरू किया गया यह विशाल अभियान देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में बहुत मद्दगार साबित हुआ है।

इस अवसर पर सांसद व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा प्रतिभा सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

हिमाचल कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त ने इस अभियान के दौरान नियोजित कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की।

इस अवसर पर विधायक कर्नल डॉ. धनी राम शांडिल, केवल सिंह पठानिया, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान सहित अन्य विधायक एवं कांग्रेस के नेता भी उपस्थित थे।

उप-मुख्यमंत्री ने बस डिपो तथा धर्मशाला व मैकलोडगंज बस अड्डे का किया निरीक्षण

शिमला/शैल। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने धर्मशाला में 13

करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन हिमाचल पथ परिवहन निगम के बस डिपो का निरीक्षण किया। उन्होंने इस डिपो का निर्माण कार्य 30 जून, 2023 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। आधुनिक तकनीक से निर्मित किए जा रहे इस डिपो का कार्य धर्मशाला स्मार्ट सिटी के तहत किया जा रहा है। इसमें दो मंजिलें होंगी तथा प्रत्येक तल में 20-20 बसों को पार्क करने की सुविधा होगी। इसमें इलैक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन का प्रावधान भी किया गया है।

उप-मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन अंतर्राज्यीय आधुनिक बस अड्डा मैकलोडगंज का निरीक्षण भी किया। उन्होंने इसका कार्य एक माह के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसका निर्माण 15 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। इसमें पांच मंजिलें होंगी तथा 200 छोटी गाड़ियों व 16 बसों के लिए पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

उन्होंने अंतर्राज्यीय आधुनिक बस अड्डा धर्मशाला का निरीक्षण भी किया तथा अधिकारियों को इसके कार्य में तेजी के लिए सभी प्रक्रियाएं समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर विधायक आशीष बुटेल व भवानी सिंह पठानिया, एच.आर.टी.सी. के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

पर्यावरण संरक्षण के लिए उद्योगों को स्वनियमन अपनाने की आवश्यकता:संजय गुप्ता

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने जिला सोलन के क्षेत्रीय कार्यालय बद्दी में एचपीएसपीसीबी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

उन्होंने औद्योगिक इकाइयों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की और सभी इकाइयां में विभिन्न प्रदूषण मानदंडों को जल, वायु और पर्यावरण संरक्षण अधिनियमों के अनुरूप सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि क्षेत्र में नगर निकायों के नियमन पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि इन क्षेत्रों में उनके द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक कचरे का निस्तारण और साफ-सफाई ठीक से हो सके।

संजय गुप्ता ने बोर्ड के सुदृढ़ीकरण के दृष्टिगत अपने सुझाव दिए और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग का आश्वासन दिया।

इसके उपरांत, संजय गुप्ता ने बद्दी के निकट झाड़माजरी में बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ औद्योगिक संघ के साथ एक संवाद बैठक भी की जिसमें एसोसिएशन के सदस्यों ने भाग लिया। उन्होंने औद्योगिक संचालन के संबंध में उनके सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों और समस्याओं को उठाया।

संजय गुप्ता ने प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उद्योगों से स्व-नियमन अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने बीबीएनआईए से अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का भी आग्रह किया ताकि वे एचपी-ओसीएमएमएस पोर्टल की सुविधा का लाभ भी उठा सकें। उन्होंने आश्वासन दिया कि संघ की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव अपूर्व देवगन ने पर्यावरण से संबंधित विभिन्न मुद्दों और बोर्ड द्वारा की गई विभिन्न पहलों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से नमूना संग्रहण और पारदर्शिता के लिए पीसीबी के सैंपलिंग माडयूल को अपग्रेड किया गया है।

मुख्य पर्यावरण अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय बद्दी ने उद्योगों की वर्तमान स्थिति और बोर्ड के कार्यकलापों के बारे में प्रस्तुति दी। उद्योग संघ की ओर से बीबीएनआईए के अध्यक्ष राजेंद्र गुलेरिया और एचडीएमए के अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बीबीएन क्षेत्र में उद्योगों के वर्तमान परिदृश्य के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर कॉमन एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट और एपीआई निष्पादन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की गई।

दिसंबर, 2022 में 341 करोड़ रुपये जीएसटी संग्रहण दर्ज किया गया

शिमला/शैल। राज्य कर एवं आबकारी विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि विभाग द्वारा दिसंबर, 2022 में 341 करोड़ रुपये वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रहण किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष में दिसंबर 2022 तक 4,052 करोड़ रुपये का जी.एस.टी. संग्रहण किया गया है जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 3,172 करोड़ रुपये की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक है।

उन्होंने बताया कि यह वृद्धि करदाताओं में कर अदायगी सम्बन्धी अनुपालना में सुधार तथा विभाग द्वारा किए गए विभिन्न प्रशासनिक एवं नीतिगत प्रयासों तथा प्रवर्तन प्रणाली के सुदृढ़ीकरण से सम्भव हो पायी है। विभाग रिटर्न फाइलिंग में निरन्तर सुधार, रिटर्न की तीव्र छंटनी, जीएसटी ऑडिट को समय पर पूरा करना और मजबूत प्रवर्तन पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित कर रहा है। विभाग ने वर्तमान वित्त वर्ष में अपने रोड चौकिंग अभियान में 10 लाख ई-वे बिल सत्यापित किए हैं।

उन्होंने बताया कि विभाग स्वैच्छिक अनुपालन में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है और टैक्स हाट कार्यक्रम के तहत समयबद्ध रूप से हितधारकों के मुद्दों का निवारण किया जा रहा है।

प्रवक्ता ने कहा कि विभाग टैक्स अधिकारियों के ज्ञान में वृद्धि तथा क्षमता निर्माण पर भी ध्यान केन्द्रित कर रहा है। गत नौ माह के दौरान 450 कर अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

कामयाबी का रास्ता सीधा नही होता, लेकिन कामयाब होते ही, सारे रास्ते सीधे हो जाते हैं।
.....चाणक्य

सम्पादकीय

कर्ज का जुगाड़ विकास का मानक नहीं है

क्या प्रदेश का संचालन कर्ज लिये बिना नहीं हो सकता यह सवाल इसलिये उठ रहा है क्योंकि सुक्खू सरकार ने अपने पहले ही विधानसभा सत्र में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन एक्ट में संशोधन करके प्रदेश सरकार की कर्ज लेने की सीमा बढ़ाने का प्रबन्ध कर लिया है। अब तक नियम था कि राज्य सरकार सकल घरेलू उत्पादन का तीन प्रतिशत तक ही कर्ज ले सकती है। अब इस अधिनियम में संशोधन करके कर्ज की यह सीमा बढ़ा दी गयी है। कर्ज की सीमा बढ़ाना वित्तीय कुप्रबन्धन का सीधा प्रमाण माना जाता है। मार्च 2022 में ही यह स्थिति जीडीपी के छः प्रतिशत तक पहुंच गयी थी। सदन के पटल पर आये रिकॉर्ड के मुताबिक प्रदेश की वित्तीय स्थिति वर्ष 2020 – 21 में ही बिगड़ गयी थी जो लगातार गहराती चली गयी। क्योंकि केन्द्र सरकार से जो राजस्व घाटा अनुदान प्रदेश को मिलता था वह बन्द हो गया है। जीएसटी की प्रतिपूर्ति मिलनी थी वह केन्द्र से नहीं मिल रही है और इसके कारण करीब तीन हजार करोड का प्रदेश को नुकसान हो चुका है। केन्द्र प्रदेश को यह हक देने की बजाये कर्ज लेने के लिये प्रोत्साहित करता रहा है। इसलिये पिछली सरकार सबसे अधिक कर्ज लेने वाली सरकार बन गयी। इन केन्द्रीय अनुदानों की स्थिति सुक्खू सरकार के लिये भी ऐसी ही रहने वाली है। प्रदेश कर्ज लेने की सीमाएं लांघ चुका है और केन्द्र का वित्त विभाग इसकी चेतावनी भी प्रदेश को बहुत पहले जारी कर चुका है। यह चेतावनी का पत्र हम अपने पाठकों के सामने रख चुके हैं। आज कर्ज की किश्त चुकाने के लिये भी कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है। सुक्खू सरकार को अपने संसाधन बढ़ाने के लिये डीजल पर प्रति लीटर तीन रूपये वैट बढ़ाना पड़ा है। इस बढ़ौतरी का हर सामना की ढुलाई पर असर पड़ेगा जिसके परिणामवश महंगाई बढ़ेगी। इस परिदृश्य में जब इस सरकार को अपने चुनावी वायदे पूरे करने पड़ेंगे तो स्वभाविक रूप से धन का प्रबन्ध करने के लिए सेवाओं के दाम बढ़ाने और कर्ज लेने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं होगा। परन्तु यह करने से लोगों में रोष पनपेगा और सरकार की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े हो जायेंगे। इस स्थिति में चुनावी वादे पूरे कर पाना आसान नहीं होगा। ऐसे में यह सवाल बड़ा अहम हो जाता है कि सरकार अपने वादे भी पूरे कर दे और जनता पर कर्ज का बोझ भी न पड़े। इसके लिये सबसे पहले प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करके जनता को वस्तुस्थिति से अवगत करवाना होगा। इसी के साथ सरकार की प्राथमिकताओं का भी नये सिरे से निर्धारण करना होगा। प्रदेश की जनता को यह बताना होगा कि पिछली सरकार ने कर्ज का यह पैसा कहां खर्च किया? क्योंकि कर्ज लेकर दान नहीं दिया जाता है। इसी के साथ भ्रष्टाचार को बेनकाब करके दोषियों के खिलाफ कढ़ी कारवाही करनी होगी। क्योंकि डबल इंजन की सरकार से जब प्रदेश को उसका हक भी नहीं मिला है तो इसकी जानकारी जनता के सामने रखना आवश्यक हो जाता है। यह जानकारी सामने रखने के साथ ही अपने अनावश्यक खर्चो पर भी लगाम लगानी पड़ेगी। आज जब सरकार ने राजनीतिक सन्तुलन बनाने के लिये मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियां की है तो यह बताना होगा कि ऐसा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। जबकि पिछली दो सरकारों में ऐसी राजनीतिक नियुक्तियां नहीं की गयी थी। जनता में इन नियुक्तियों का कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है। इन नियुक्तियों के वैधानिक पक्ष को यदि छोड़ भी दिया जाये तो भी राजनीतिक रूप से भी इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा है। क्योंकि चुनाव के दौरान जो आरोप पत्र **''लूट की छूट''** के नाम से जारी किया गया था उसकी दिशा में इस एक माह के समय में कोई कदम उठाने का संकेत तक नहीं आया है। जबकि सरकार लगातार व्यवस्था बदलने की दिशा में काम करने की बातें कर रही है लेकिन व्यवहारिक रूप से उसके प्रशासनिक फैसलों से इस तरह के कोई संकेत सामने नहीं आये हैं। जनता सरकार की हर चीज पर नजर रख रही है क्योंकि इस सत्ता परिवर्तन में कांग्रेस के नेताओं से ज्यादा योगदान दूसरे लोगों का रहा है। आज जयराम सरकार पर सबसे ज्यादा कर्ज लेने का आरोप इसलिये लग रहा है कि उसने प्रदेश के वित्तीय प्रबन्धन से जुड़े तन्त्र पर आंख बन्द करके विश्वास कर लिया था। कर्ज लेना विकास का कोई मानक नहीं है। बल्कि कर्ज लेकर घी पीने का पर्याय बन चुका है।

बजटः वादों को पूरा करने का एक साधन

करण भसीन
(ऑपइंडिया में राजनीतिक अर्थशास्त्री)

वादे, भारतीय राजनीति की एक सर्वोत्कृष्ट विशेषता रहे हैं। इन वादों में से कई पूरे होते हैं, तो कई अधूरे रह जाते हैं। घोषणापत्र, सरकारी कार्यक्रम और यहां तक कि बजट की कवायद भी चुनावी राजनीति या गठबंधन की मजबूरियों का शिकार रहीं हैं, जिसके लिए ऐसे वादों की जरूरत होती है, जिन्हें तोड़ा जाना होता है।

वर्ष 2018 के उत्तरार्द्ध में, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अपने 2014 के घोषणापत्र में किए गए वादों की समीक्षा करने के लिए कई कवायदें की गई थीं। वादों को पूरा करने के मामले में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। पूर्ण और सापेक्ष दोनों ही सन्दर्भो में। वर्ष 2019 के बाद, एक ऐसी महामारी आई जिसने सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों और सरकारी वित्त में बड़ा व्यवधान पैदा किया है। इसलिए समय आ गया है कि बजट घोषणाओं पर करीब से नजर डाली जाए और यह देखा जाए कि क्या उसमें, खासकर रेल बजट से संबंधित, किए गए वादे पूरे किए गए हैं या फिर वे पिछली बजट घोषणाओं की तरह ही अधूरे रह गए हैं।

हमने बजट 2022 – 23 में की गई 34 प्रमुख घोषणाओं पर बारीकी से गौर किया है और उनके कार्यान्वयन का आंकलन किया है। इनमें से कई घोषणाओं से विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों का जुड़ाव है, जो उनके समयबद्ध कार्यान्वयन को मुश्किल बनाता है। इस दृष्टि से, इन घोषणाओं के कार्यान्वयन के मामले में बेहतर प्रदर्शन भारत सरकार की बेहतर प्रशासनिक दक्षता का संकेत हो सकती है।

आश्चर्यजनक रूप से, दो बातों को दर्शाते हुए इन प्रमुख घोषणाओं में से प्रत्येक में काफी प्रगति हुई है। पहली बात उठाये जा सकने लायक कदमों की घोषणा करके वार्षिक बजट की विश्वसनीयता को बहाल करने के सचेत प्रयास से संबंधित है और दूसरी बात पहले ही घोषित किए जा चुके प्रावधानों को प्रभावी तरीके से कार्यान्वित करने को लेकर किये गये केन्द्रित प्रयासों से संबंधित है। यह सब महामारी के दौरान राजकोषीय आंकड़ों को व्यवस्थित करने की पृष्ठभूमि में हुआ है। व्यवस्थित करने की यह प्रक्रिया 2014 के पहले से अपेक्षित थी क्योंकि एक के बाद एक मंत्रियों ने बैलेंस शीट से इतर जाकर उधर के माध्यम से वास्तविक घाटे को कम करने की कोशिश की थी। इसलिए यह स्पष्ट है कि अंतिम उद्देश्य बजट की कवायद की गंभीरता को बहाल करना और अधूरे वादों के पिछले अनुभवों से आगे बढ़ना है।

आइए, पिछले बजट में पीएम गति शक्ति की घोषणा से शुरुआत करते हैं। इसका उद्देश्य एक ऐसे मंच का निर्माण करना था जो बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने में मदद करे और बुनियादी ढांचे के विकास के विभिन्न पहलुओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार विभिन्न मंत्रालयों के कारण होने वाली देरी को कम करे। यह मंच 16 मंत्रालयों को एकजुट करता है और देश भर में मल्टी – मोडल कनेक्टिविटी के तेजी से विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाले बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन को संभव बनाता है। यह मंच पिछले कुछ समय से सक्रिय है और पीएम गति शक्ति नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में दी गई 4827 परियोजनाओं में से 766 की रूपरेखा नेशनल मास्टर प्लान के मंच पर तैयार कर दी गई है।

इसके अलावा, वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय

राजमार्गो में 25,000 किलोमीटर का विस्तार करने के निर्णय की घोषणा की थी। वित्त मंत्रालय ने पहले ही राज्य की सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए संशोधित दिशानिर्देश तैयार करना शुरू कर दिया है और उसका इरादा इस नीति को अंतिम रूप दिए जाने के बाद नए राष्ट्रीय राजमार्गो को अधिसूचित करने का है। मंत्रालय वर्तमान वित्तीय वर्ष में मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गो को बेहतर बनाने की प्रक्रिया का समर्थन करने हेतु मौजूदा परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रहा है।

एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूलिप) से संबंधित है। इसकी घोषणा विभिन्न तरीकों से माल की कुशल आवाजाही, लॉजिस्टिक संबंधी लागत एवं लगने वाले समय को कम करने, समय – समय पर इन्वेंट्री प्रबंधन में सहायता करने और थकाऊ दस्तावेजीकरण को खत्म करने के उद्देश्य से की गई थी। इस मंच को सभी हितधारकों को वास्तविक समय में जानकारी प्रदान करनी थी। आगे चलकर इस मंच को इसी के अनुरूप विकसित किया गया है और इसने देश के लॉजिस्टिक क्षेत्र को एक नए तरीके से बढ़ावा देने के प्रयास में विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों की 29 डिजिटल प्रणालियों को एकीकृत किया है।

कृषि क्षेत्र में किसान ड्रोन के उपयोग के संदर्भ में, वित्त मंत्रालय राज्य सरकारों और संबंधित संगठनों को इसे खरीदने के लिए धन जारी कर रहा है। इसी तरह, ईसीएलजीएस वृद्धि को 17 अगस्त 2022 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी।

पीएम आवास योजना के तहत सभी के लिए आवास को लेकर एक बड़ी घोषणा की गई। वित्त मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष में इस कार्यक्रम के तहत 80 लाख घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। कुल 120.38 लाख स्वीकृत आवासों में से 104.12 लाख आवासों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है जबकि 30 सितम्बर तक 63.27 लाख आवासों को वितरित कर दिया गया है या फिर उनका निर्माण पूरा कर लिया गया है।

ये वैसे कुछ उदाहरण हैं, जिनकी घोषणा बजट के एक हिस्से के रूप में की गई थीं और साथ ही इनके कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में कुछ विवरण भी दिए गए हैं। सभी 34 प्रमुख घोषणाओं के गहन विश्लेषण से इनमें से प्रत्येक में काफी प्रगति का पता चलता है और इससे वादा किए गए कार्यो को पूरा करने की दिशा में बेहतर दक्षता और प्रतिबद्धता का संकेत मिलता है।

निजी क्षेत्र के कर्मचारी लक्ष्यों को परिभाषित करने और वित्तीय वर्ष के दौरान उन लक्ष्यों की प्रगति पर नज़र रखने के महत्व से अवगत होते हैं। पिछले साल की गई बजट घोषणाओं के विश्लेषण से यह संकेत मिलता है कि वित्त मंत्रालय द्वारा भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया गया है। यह अतीत की तुलना में, खासकर किसी ठोस उपाय के बिना की जाने वाली लोकलुभावन घोषणाओं से पैदा होने वाली निराशा को देखते हुए, एक स्वागत योग्य बदलाव है। वर्ष 2008 की कृषि ऋण माफी से उपजी कड़वी निराशा इस प्रकार की लोकलुभावन घोषणा का एक सटीक उदहारण है।

कार्यान्वन के इरादे से लैस विवेकपूर्ण नीतियां राजकोष की पवित्रता और सरकार एवं नागरिकों के बीच विश्वास बनाए रखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए, यह कवायद एक व्यक्ति को इस निष्कर्ष को ओर ले जाती है कि पिछले कई वर्षो में देश के बजट की वार्षिक कवायद सही दिशा में बढ़ी है क्योंकि वे वितरण के एक साधन बनकर उभरे हैं। बजट 2022 – 23 ने बजट घोषणाओं के कार्यान्वन के पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह सरकार आने वाले वर्षो में अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ पाती है या नहीं।

राज्यपाल ने प्रदेश मंत्रिमंडल के सात सदस्यों को शपथ दिलाई

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन में आयोजित एक गरिमापूर्ण समारोह में राज्य मंत्रिमंडल के नवनियुक्त सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कार्यवाही का संचालन किया। सोलन विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, कांगड़ा जिला के जवाली विधानसभा क्षेत्र से चुने गए प्रो. चंद्र कुमार, सिरमौर जिला के शिलाई विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हर्ष वर्धन चौहान, किन्नौर विधानसभा क्षेत्र से चुने जगत सिंह नेगी, शिमला जिला के जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित रोहित ठाकुर, कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित अनिरुद्ध सिंह तथा शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से चुने गए विक्रमादित्य सिंह ने बतौर कैबिनेट मंत्री शपथ ग्रहण की। मंत्रिमंडल में शिमला जिला से तीन तथा कांगड़ा, सोलन, सिरमौर और किन्नौर से एक-एक मंत्री शामिल किये गये हैं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस समिति की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, हिमाचल कांग्रेस के सह-प्रभारी तजिंद्र सिंह बिट्टू, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, विधायकगण, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी गोपाल शर्मा और वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

8 जनवरी, 2023 को नियुक्त हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यों का जीवन-परिचय

डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल

इनका जन्म सोलन जिला की कंडाघाट तहसील के बशील गांव में स्व.श्री नारायणू राम शांडिल के घर

20 अक्तूबर 1940 को हुआ। इन्होंने एमए, एमफिल एवं पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। इनके एक बेटा और दो बेटियां हैं। यह राजनेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं।

इन्होंने सशस्त्र बलों में वर्ष 1962-1996 तक अपनी सेवाएं प्रदान कीं और कर्नल के पद से सेवानिवृत्त हुए।

वर्ष 1999 में यह हिमाचल विकास कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में 13वीं लोकसभा के लिए बतौर सांसद चुने गए। वर्ष 2004 में यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में 14वीं लोकसभा के लिए पुनः निर्वाचित हुए।

अप्रैल 2011 से सितंबर 2013 तक यह मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी और कांग्रेस कार्यकारी समिति के सदस्य रहे।

दिसंबर 2012 में यह हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए और 25 दिसंबर 2012 से 21 दिसंबर 2017 तक इन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के रूप में कार्य किया। दिसंबर 2017 में 13वीं विधानसभा के लिए यह दूसरी बार चुने गए और कल्याण, लोक प्रशासन एवं आचार नीति समितियों के सदस्य रहे। दिसंबर 2022 में 14वीं विधानसभा के लिए पुनः विधायक चुने गए।

चंद्र कुमार

इनका जन्म 8 मई, 1944 को कांगड़ा जिला की जवाली तहसील के धन गांव में स्व. श्री बेली राम

के घर हुआ। इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से एम.ए., एम.एड. और एल.एल.बी. की उपाधि प्राप्त की है। इनका विवाह कृष्णा देवी से 2 मार्च 1976 को हुआ। इनका एक बेटा और एक बेटी हैं। यह एक कृषक भी हैं।

यह समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान और दूरदराज के लोगों की शिकायतों के निवारण में समर्पित रहे हैं। इन्होंने पूर्ण राज्यत्व के संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग लिया। वर्ष 1968 में इन्होंने एक शिक्षक के रूप में कार्य प्रारंभ किया। बाद में यह सरकारी सेवाओं से त्याग-पत्र देकर सक्रिय राजनीति में शामिल हुए। राज्य युवा कांग्रेस के सक्रिय सदस्य के रूप में इन्होंने शिमला के भट्टा कुफर (संजय वन) में वृहद् पौधारोपण अभियान में भाग लिया। इन्होंने वर्ष 1978 से 1982 तक शिमला के प्रतिष्ठित सेंट बीड्ज कॉलेज में भूगोल विषय में शिक्षा भी प्रदान की। वर्ष 1981 में इन्होंने नई दिल्ली में आयोजित शिक्षा पर राष्ट्रीय अधिवेशन में बतौर संयुक्त संयोजक के रूप में राज्य का प्रतिनिधित्व किया।

वर्ष 1977 में राज्य विधानसभा के लिए चुनाव लड़ा, वर्ष 1982 और 1985 में यह राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए, 1990 में पुनः चुनाव लड़ा। इसके उपरांत वर्ष 1993, 1998 और 2003 में पुनः विधायक चुने गए।

वर्ष 1982-85 तक हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपाध्यक्ष रहे। 14 अप्रैल 1984 से मार्च 1985 तक यह स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा और सूचना एवं जन संपर्क विभाग के उप-मंत्री रहे। मार्च 1985 से 1989 तक यह वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रहे। वर्ष 1989 से 1990 तक यह कृषि और कला, भाषा एवं संस्कृति तथा मत्स्य पालन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रहे। इन्होंने वर्ष 1993 से 1998 तक सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। इसके अतिरिक्त यह वन मंत्री भी रहे।

यह कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र से वर्ष 2004 से 2009 तक सांसद रहे। 14वीं विधानसभा के लिए दिसंबर 2022 में यह पुनः विधायक चुने गए।

हर्ष वर्धन चौहान

इनका जन्म सिरमौर जिला के नाहन में स्व. श्री गुमान सिंह चौहान (पूर्व मंत्री) के घर 14 सितंबर 1964

को हुआ। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शिमला के सेंट एडवर्ड्स स्कूल से प्राप्त की और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से बी.ए.एल.एल.बी. की उपाधि प्राप्त की। इनका विवाह कल्पना चौहान से हुआ है। इनकी एक बेटी है।

यह महाविद्यालय काल से ही एनएसयूआई के साथ जुड़ गए और महाविद्यालय केंद्रीय छात्र संघ के सदस्य रहे। वर्ष 1986 से 1988 तक यह युवा कांग्रेस शिलाई के महासचिव चुने गए। वर्ष 1990-96 तक जिला सिरमौर कांग्रेस समिति के महासचिव रहे। वर्ष 1997 में राज्य कांग्रेस समिति के संयुक्त सचिव बने। यह वर्ष 2008-12 तक जिला कांग्रेस समिति सिरमौर के अध्यक्ष रहे तथा वर्ष 2003-07 तक कांग्रेस संसदीय दल के महासचिव रहे और वर्ष 2005-08 व 2013-18 तक हिमाचल प्रदेश कांग्रेस समिति के महासचिव रहे।

वर्ष 1993 में यह राज्य विधानसभा के लिए चुने गए। इसके उपरांत वर्ष 1998, 2003 और 2007 में लगातार पुनः विधायक बने। वर्ष 1995-97 तक यह राज्य सामान्य उद्योग निगम के उपाध्यक्ष रहे। वर्ष 1994-97 तक हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के सदस्य रहे। वर्ष 1994-96 तक हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला की कार्यकारी परिषद् के सदस्य रहे। वर्ष 1995-97 तक हिमाचल प्रदेश राज्य युवा बोर्ड के सदस्य रहे। इसके अतिरिक्त डॉ. वाई.एस. परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी (सोलन) के सीनेट में सदस्य रहे। यह 18 अप्रैल से 18 अगस्त 2005 तक राज्य सरकार में मुख्य संसदीय सचिव रहे। इसके अतिरिक्त वर्ष 2005-07 एवं 2008-12 तक यह प्राक्कलन समिति, सामान्य विकास समिति तथा याचिका समिति के अध्यक्ष भी रहे। इसी अवधि में यह विधानसभा की अन्य समितियों के सदस्य भी रहे। वर्ष 2013-17 तक यह राज्य स्तरीय संसाधन संघटन एवं रोजगार सृजन समिति के अध्यक्ष (कैबिनेट रैंक) रहे। वर्ष 2017 में यह 13वीं विधानसभा के लिए पांचवीं बार निर्वाचित हुए। इस दौरान यह लोक लेखा, पुस्तकालय एवं सुख-साधन एवं विशेषाधिकार समितियों के सदस्य भी रहे। दिसंबर 2022 में यह 14वीं विधानसभा के लिए पुनः निर्वाचित हुए।

जगत सिंह नेगी

पूर्व विधायक हिमाचल प्रदेश विधानसभा श्री ज्ञान सिंह नेगी के सुपुत्र जगत सिंह नेगी का जन्म

2 फरवरी, 1957 को किन्नौर जिला के कल्पा में हुआ। उन्होंने बी.ए.एल.एल.बी. की शिक्षा डी.ए.वी. महाविद्यालय चण्डीगढ़ तथा पंजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ़ से ग्रहण की है। उनका विवाह 01 जुलाई, 1982 को सुशीला नेगी से हुआ। उनका एक सुपुत्र और एक सुपुत्री है।

वह वर्ष 1980 से 1995 तक जिला सेब एवं सब्जी उत्पादक संघ किन्नौर के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं। वह वर्ष 1980 से 1995 तक जिला बार संघ किन्नौर के अध्यक्ष तथा जिला युवा कांग्रेस कमेटी किन्नौर के अध्यक्ष भी रहे हैं। वह वर्ष 1996 से 2011 तक जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं। वह वर्ष 1996 और 2005 से 2009 तक हिमाचल प्रदेश फुटबाल संघ के उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष रहे हैं। वह वर्ष 1987 से 1992 तक पंचायत समिति पूह के अध्यक्ष तथा 1996 से 1997 तक हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम के उपाध्यक्ष रहे हैं।

जगत सिंह नेगी 27 मई, 1995 को विधानसभा उप-चुनाव में विधायक निर्वाचित हुए। वह जून, 2003 तथा 2012 में पुनः विधायक पद पर निर्वाचित हुए। वह 18 अप्रैल, 2005 से 18 अगस्त, 2005 तक संसदीय सचिव रहे। जनवरी 2013 से मार्च 2013 तक अधीनस्थ विधायन समिति के अध्यक्ष तथा 12 मार्च, 2013 से 21 दिसम्बर, 2017 तक हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे।

दिसम्बर, 2017 में 13वीं विधानसभा के लिए पुनः निर्वाचित हुए तथा प्राक्कलन एवं सामान्य विकास समिति के सदस्य रहे तथा कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक भी रहे। वह दिसम्बर, 2022 में 14वीं विधानसभा के लिए पुनः निर्वाचित हुए।

रोहित ठाकुर

स्व.श्री जगदीश चन्द्र के सुपुत्र रोहित ठाकुर का जन्म 14 अगस्त, 1974 को जिला शिमला में

हुआ। उन्होंने राजनीतिक विज्ञान बी. ए. ऑनर्स की उपाधि प्राप्त की है। उनका विवाह प्रतिभा से हुआ। उनका एक सुपुत्र व दो सुपुत्रियां हैं।

वह हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर राम लाल के पौत्र हैं। वह वर्ष 2000 से 2004 तक प्रदेश युवा कांग्रेस राज्य समिति के सदस्य रहे तथा वर्ष 2002 से जुब्बल कोटखाई से हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। वह वर्ष 2008 से 2011 तक हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव भी रहे हैं। वह वर्ष 2003 तथा 2012 में राज्य विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। मई, 2013 से दिसम्बर, 2017 तक मुख्य संसदीय सचिव रहे। 30 अक्तूबर, 2021 को विधानसभा उप-चुनाव में पुनः विधायक पद पर निर्वाचित हुए।

रोहित ठाकुर दिसम्बर, 2022 में 14वीं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए।

अनिरुद्ध सिंह

स्व.त्रिविक्रम सिंह के सुपुत्र अनिरुद्ध सिंह का जन्म 27 जनवरी, 1977 को शिमला में हुआ। उन्होंने

स्नातक तक शिक्षा ग्रहण की है। उनका विवाह चेतना सिंह से हुआ। उनका एक सुपुत्र और एक सुपुत्री है।

वह राज्य युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष, भारतीय युवा कांग्रेस के राज्य महासचिव, राज्य एवं शिमला लोकसभा क्षेत्र पी.वाई.सी. के उपाध्यक्ष रहे हैं। आई.वाई.सी. के राष्ट्रीय समन्वयक, वर्ष 2005 तथा 2010 में चमयाणा वार्ड से जिला परिषद् के सदस्य और 27 जनवरी, 2011 से जनवरी, 2013 तक जिला परिषद शिमला के अध्यक्ष रहे हैं।

अनिरुद्ध सिंह दिसम्बर, 2012 में 12वीं विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए तथा वर्ष 2013 से 2017 तक सार्वजनिक उपक्रम, अधीनस्थ विधायन एवं नियम समितियों के सदस्य रहे। वह दिसम्बर, 2017 में पुनः विधायक के रूप में निर्वाचित हुए तथा सार्वजनिक उपक्रम, अधीनस्थ विधायन एवं नियम समितियों के सदस्य रहे। वह दिसम्बर, 2022 में पुनः 14वीं राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए।

विक्रमादित्य सिंह

हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. श्री वीरभद्र सिंह के सुपुत्र विक्रमादित्य सिंह का जन्म 17

अक्तूबर, 1989 को शिमला में हुआ। उन्होंने इतिहास में स्नातक उपाधि सेंट स्टीफनज महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त की। वह वर्ष 2013 से 2018 तक हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं।

वह दिसम्बर, 2017 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए तथा सार्वजनिक उपक्रम समिति व ई-गवर्नेंस एवं सामान्य प्रायोजन समिति के सदस्य रहे।

विक्रमादित्य सिंह दिसम्बर, 2022 में 14वीं विधानसभा के लिए पुनः विधायक पद पर निर्वाचित हुए।

मुख्यमंत्री ने छः मुख्य संसदीय सचिवों को शपथ दिलाई

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने छः मुख्य संसदीय सचिवों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। सुंदर सिंह ठाकुर, मोहन लाल ब्राक्टा, राम कुमार चौधरी, आशीष बुटेल, किशोरी लाल और संजय अवस्थी ने मुख्य संसदीय सचिव के रूप में शपथ ग्रहण की। इस अवसर पर उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, विधायकगण, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी गोपाल शर्मा अन्य वरिष्ठ अधिकारी और नवनियुक्त मुख्य संसदीय सचिवों के परिजन भी उपस्थित थे।

8 जनवरी, 2023 को नियुक्त मुख्य संसदीय सचिवों का जीवन-परिचय

सुंदर सिंह ठाकुर

इनका जन्म श्रीमती खूबी देवी एवं श्री जोग ध्यान ठाकुर के घर 5 मई, 1965 को कुल्लू जिला के शालंग में हुआ। इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से बीएससी (मेडिकल) और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से विधि स्नातक (एलएलबी) की उपाधि प्राप्त की। इनकी धर्मपत्नी इंदिरा ठाकुर एवं दो बेटे हैं। यह बागवानी एवं होटल व्यवसाय से जुड़े हैं।

इन्होंने वर्ष 1985-86 में हिमसा चंडीगढ़ के संगठन सचिव के रूप में कार्य किया। इसके उपरांत वर्ष 1989-91 तक हिमाचल प्रदेश एनएसयूआई के उपाध्यक्ष, 1991 में पंचायत समिति सदस्य, वर्ष 1991-94 तक पंचायत समिति कुल्लू के अध्यक्ष, वर्ष 1994-99 तक जिला परिषद कुल्लू के उपाध्यक्ष रहे। वर्ष 2009-2012 तक हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस समिति के राज्य प्रतिनिधि तथा वर्ष 2012 से हिमाचल प्रदेश कांग्रेस समिति के महासचिव पद पर रहे।

इन्होंने वर्ष 2003-08 तक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा वर्ष 2013 से 2017 तक हिमाचल प्रदेश खेल परिषद के सदस्य के रूप में कार्य किया।

सुंदर सिंह ठाकुर दिसंबर 2017 में 13वीं विधानसभा के लिए बतौर विधायक चुने गए और जनरल डेवल्पमेंट एंड सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी के सदस्य रहे।

दिसंबर 2022 में यह 14वीं विधानसभा के लिए पुनः विधायक के रूप में चुने गए।

यह सामाजिक सेवाओं से जुड़े रहे हैं और सक्रिय रक्तदाता भी हैं। भ्रमण के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली के बारे में जानना-समझना इनकी अभिरुचि में शामिल है।

मोहन लाल ब्राक्टा

इनका जन्म शिमला जिला के रोहडू में श्री तेजू राम के घर 19 जून 1965 को हुआ। इन्होंने विधि स्नातक की शिक्षा ग्रहण की है और एक अधिवक्ता के तौर पर सक्रिय रहे हैं। इनका विवाह रंजना ब्राक्टा के साथ हुआ। इनका एक बेटा और एक बेटी है।

यह वर्ष 2012 में राज्य विधानसभा के लिए चुने गए। वर्ष 2013 से 2017 तक इन्होंने प्राक्कलन, ग्राम नियोजन, सार्वजनिक उपक्रम, कल्याण, विशेषाधिकार एवं नीति समितियों के सदस्य के रूप में कार्य किया।

13वीं विधानसभा के लिए यह पुनः निर्वाचित हुए और कल्याण, नियम एवं ई-गवर्नेंस व सामान्य मामले समितियों के सदस्य रहे।

दिसंबर 2022 में 14वीं विधानसभा के लिए यह पुनः बतौर विधायक चुने गए।

राम कुमार चौधरी

इनका जन्म सोलन जिला के हरिपुर संदोली गांव में श्री लज्जा राम (पूर्व मुख्य संसदीय सचिव) के घर 2 मार्च 1969 को हुआ। इन्होंने लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है। इनका विवाह कुलदीप कौर (निधि) से हुआ है। इनका एक बेटा एवं एक बेटी है। यह रियल एस्टेट व्यवसाय से जुड़े हैं।

यह हरिपुर संदोली ग्राम सुधार सभा के अध्यक्ष रहे हैं। इसके अतिरिक्त यह वर्ष 1993-95 में प्रदेश एनएसयूआई के महासचिव, वर्ष 2003 में राज्य युवा कांग्रेस के महासचिव तथा हिमाचल प्रदेश कांग्रेस समिति के वर्तमान में महासचिव हैं। वर्ष 2006 से 2011 तक यह जिला परिषद सोलन के अध्यक्ष रहे। यह दिसंबर 2012 में पहली बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए बतौर विधायक चुने गए। दिसंबर 2022 में 14वीं विधानसभा के लिए पुनः विधायक चुने गए।

आशीष बुटेल

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष तथा पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री बृज बिहारी लाल बुटेल के सुपुत्र आशीष बुटेल का जन्म 9 जनवरी, 1980 को हुआ। उनका विवाह कनिका भुल्लर से हुआ है। इनकी एक सुपुत्री है। उन्होंने सिम्बोयसिस कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय पुणे से वाणिज्य स्नातक की उपाधि प्राप्त की।

वह वर्ष 2011 से 2013 तक लोकसभा युवा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। वह वर्ष 2014 से हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं। वह वर्ष 2017 में पहली बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए तथा प्राक्कलन एवं ग्रामीण योजना समितियों के सदस्य रहे। वह दिसम्बर, 2022 में 14वीं विधानसभा के लिए पुनः निर्वाचित हुए।

आशीष बुटेल जिला कांगड़ा बॉस्केटबाल संघ के अध्यक्ष हैं। उनकी सामाजिक कार्यो तथा अध्ययन में विशेष रूचि है।

किशोरी लाल

स्व. श्री संत राम के सुपुत्र किशोरी लाल का जन्म 10 अक्तूबर, 1947 को जिला कांगड़ा के बैजनाथ में हुआ। उनका विवाह जोगिन्द्रा देवी से हुआ। उनका एक सुपुत्र और तीन सुपुत्रियां हैं।

वह पांच बार पंचायत प्रधान तथा उप-प्रधान रहे हैं। वह ब्लॉक एवं जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव, जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे हैं।

किशोरी लाल दिसम्बर, 2012 में प्रथम बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए तथा दिसम्बर, 2022 में पुनः विधायक के रूप में चुने गए हैं।

संजय अवस्थी

स्व. श्री दिला राम के सुपुत्र संजय अवस्थी का जन्म 7 अक्तूबर, 1965 को गांव व डाकघर कंधेर, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में हुआ। उनका विवाह मीनाक्षी से हुआ। उनकी दो सुपुत्रियां हैं।

वह वर्ष 1996 से 2006 तक जिला क्रिकेट संघ सोलन के अध्यक्ष तथा वर्ष 2000 से 2005 तक नगर परिषद सोलन के पार्षद रहे। वह वर्तमान में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य है। संजय अवस्थी 30 अक्तूबर, 2021 को विधानसभा उप-चुनाव में प्रथम बार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए तथा दिसम्बर, 2022 में 14वीं विधानसभा के लिए पुनः निर्वाचित हुए।

समाज सेवा तथा युवाओं को राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रेरित करने में इनकी विशेष रुचि है। इन्होंने रणजी ट्राफी राष्ट्रीय क्रिकेट चौम्पियनशिप में हिमाचल का प्रतिनिधित्व किया है।

निराश्रितों के लिए 101 करोड़ रुपये का मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष स्थापित करेगी प्रदेश सरकार

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार जरूरतमंद बच्चों विशेषकर अनाथ बच्चों, निराश्रित महिलाओं और वृद्ध जनों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के पहले दिन ही उन्होंने शिमला में बालिका देखभाल संस्था, टूटीकंडी का दौरा कर इस संस्थान से संबंधित विभाग की कार्य प्रणाली को जाना। उन्होंने कहा कि मैंने 28 दिसंबर, 2022 को नारी सेवा सदन और वृद्ध आश्रम मशोबरा का भी निरीक्षण किया। उन्होंने महसूस किया कि बेसहारा बच्चों, निराश्रित महिलाओं एवं वृद्धजनों के लिए अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों के मां-बाप नहीं, उनके लिए सरकार ही माता-पिता हैं। संस्थागत देखभाल के लिए बाल देखभाल संस्थाओं, नारी सेवा सदन, शक्ति सदन और वृद्ध आश्रमों में रह रहे आवासियों को मुख्य त्योहार मनाने के लिए 500 रुपये का उत्सव अनुदान प्रदान करने की अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'प्रदेश सरकार 101 करोड़ रुपये की धनराशि से मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष स्थापित करेगी' ताकि जरूरतमंद बच्चों एवं निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेजों, आई.आई.आई.टी., एन.आई.टी., आई.आई.टी., आई.आई.एम, पॉलिटैक्निक संस्थानों, नर्सिंग एवं डिग्री कॉलेजों आदि में ऐसे बच्चों की उच्च शिक्षा और व्यावसायिक कौशल विकास शिक्षा पर होने वाले व्यय को प्रदेश सरकार वहन करेगी। इनको आवश्यकता के अनुसार जेब खर्च के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि ये बच्चे सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। उन्होंने कहा कि यह कोई करुणा नहीं बल्कि उनका प्रदेश सरकार पर अधिकार है।

उन्होंने बताया कि इस कोष से सहायता प्राप्त करना सरकारी बंधनों से मुक्त होगा और इनसे कोई आय प्रमाण-पत्र भी नहीं लिया जाएगा। साधारण आवेदन पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संपूर्ण सहायता त्वरित रूप से सीधे लाभार्थी के खाते में दी जाएगी।

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि दानी सज्जनों और कम्पनियों आदि से सी.एस.आर. के अंतर्गत आर्थिक सहायता लेने के भी प्रयास किए जाएंगे ताकि देखभाल एवं संरक्षण वाले सभी कमजोर वर्गो को सरकार की ओर से अच्छी और उच्च गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं दी जा सकें। इसके अलावा, विधायकों से भी इस कोष के लिए आर्थिक सहायता ली जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाल देखभाल संस्थानों में रह रहे बच्चों, संस्थागत देखभाल, फॉस्टर केयर के अंतर्गत लाभान्वित हो रहे सभी बच्चों, नारी सेवा सदन, शक्ति सदन में रह रही निराश्रित महिलाओं और वृद्धाश्रमों में रह रहे आवासियों को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई अन्य अनाथ बच्चा जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा चिन्हित किया जाता है तो उसे भी इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा।

हिमाचलवासियों का

कोटि कोटि आभार !

अपार जन समर्थन, सहयोग एवं
विश्वास के लिए

"हम पूरी निष्ठा, ईमानदारी व
लगन के साथ उन्नति की राह पर
निरन्तर क़दम बढ़ाएंगे

हिमाचलवासियों से किये
सभी वायदे हम निभाएंगे
सबकी आशाओं व आकांक्षाओं
पर खरा उतरेंगे
पुनः हृदय से धन्यवाद!"

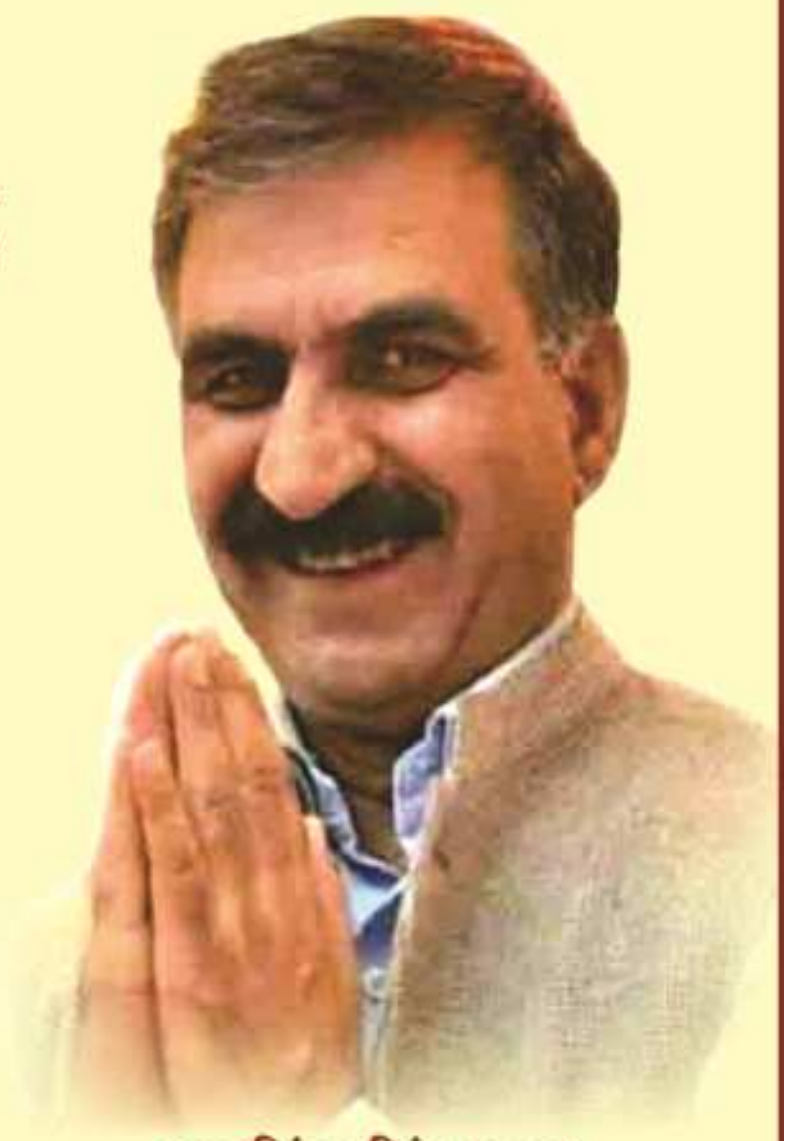

सुखविंदर सिंह सुक्खू
मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

सुक्खू सरकार में शामिल हुये सात मन्त्री पहले ही विस्तार में गड़बड़ाया क्षेत्रीय और जातीय सन्तुलन

- तीन पद रखे गये खाली
- मन्त्रीमण्डल विस्तार के साथ ही डीजल के दाम बढ़ाना महंगा पड़ सकता है।

शिमला/शैल। सुक्खू मन्त्रीमण्डल का पहला विस्तार हो गया है। इस विस्तार में सात विधायकों को मन्त्री बनाया गया है। जिनमें कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से चौधरी प्रो. चन्द्र कुमार मण्डी संसदीय क्षेत्र से जगत सिंह नेगी और शिमला संसदीय क्षेत्र से पांच सर्व श्री धनीराम शांडिल, हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह मंत्री बने हैं। अभी मन्त्री परिषद में तीन स्थान खाली रखे गये हैं। मन्त्रीमण्डल के इस गठन में क्षेत्रीय और जातीय दोनों संतुलित संतुलन यहीं गड़बड़ा गये हैं क्योंकि पन्द्रह विधायकों वाले प्रदेश के सबसे बड़े जिले से केवल एक ही मन्त्री लिया गया है। जबकि शिमला संसदीय क्षेत्र से पांच और आठ विधायकों वाले शिमला जिला से तीन मन्त्री लिये गये हैं। अभी बिलासपुर जिला को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है और मण्डी भी खाली रह गया है। यह स्थिति जनता और विधायकों में रोष पैदा करेगी यह स्वभाविक है। इसका असर निश्चित तौर पर अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा यह भी तय है। ऐसे में विश्लेषकों के सामने यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि एक माह के भीतर ही सुक्खू सरकार के लिये इस तरह के हालात क्यों बनने लगे हैं। इस स्थिति को समझने के लिये चुनाव से पूर्व की स्थितियों पर नजर डालना आवश्यक हो जाता है। यह एक कड़वा सच है कि स्व. वीरभद्र सिंह अपने अन्तिम सांस तक प्रदेश कांग्रेस के एक छत्र नेता थे और उस वटवृक्ष के तले उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी नेता पनप नहीं पाया है। स्व. पंडित सुखराम ने उनसे टकराने का प्रयास किया और कांग्रेस से बाहर तक होना पड़ा। पंडित सुखराम ने अपने समय में कुछ युवा चेहरों को उभारने का प्रयास किया था। सुखविंदर सिंह सुक्खू भी उनमें से एक रहे हैं और यही एक होना स्व. वीरभद्र सिंह को यदा – कदा खटकता रहा। इसी मानसिकता में सुक्खू को प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाने के लिये वह आनन्द शर्मा के प्रस्ताव पर सहमत हुए और कुलदीप राठौर पार्टी के अध्यक्ष बनाये गये। सुक्खू का वीरभद्र सिंह के साथ टकराव ही सुक्खू की ताकत बन गया। वीरभद्र सिंह की मृत्यु के बाद हाईकमान की नजरों में सुक्खू एक बड़ा नाम बन गये। क्योंकि आनन्द शर्मा और कौल सिंह जी – 23 का हिस्सा बन गये। उधर वीरभद्र सिंह की मृत्यु के बाद उनके राजनीतिक वारिसों में किसी एक नाम पर सहमति हो नहीं पायी। बल्कि वीरभद्र सिंह की मृत्यु के बाद कांग्रेस से भाजपा में जाने वाले संभावितों की संख्या में वीरभद्र समर्थकों के ज्यादा नाम चर्चित होते रहे हैं। बल्कि चुनाव परिणामों के बाद भी जिस तरह की जितनी खबरें प्रतिभा सिंह को लेकर छपी है वह सब भी इसी आयने से देखी गयी है। इस परिदृश्य में चुनाव परिणामों के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रतिभा सिंह और मुकेश अग्निहोत्री मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदारों में एक बराबर बने रहे हैं। शायद सुक्खू अपने में बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं थे इसलिए वह प्रशासनिक अधिकारियों में से अपनी टीम का पहले चयन नहीं कर पाये और उन्हें पिछली सरकार के विश्वस्तों पर ही निर्भर करना पड़ा। इस निर्भरता में यह तक आकलन नहीं हो पाया कि जो फैसले लिये जा रहे हैं उनका कानूनी आधार कितना पुख्ता है। प्रशासनिक फैसले के साथ ही जब डीजल के दाम वैट के माध्यम से बढ़ा दिये गये तो यह धारणा और भी पुख्ता हो जाती है कि प्रशासन की निष्ठा स्पष्ट नहीं है। क्योंकि जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त थी इसलिये उसने कांग्रेस को चुना। लेकिन वैट के माध्यम से डीजल के रेट बढ़ाने और नये मन्त्रीयों तथा मुख्य संसदीय सचिवों के लिये महंगी गाड़ियां खरीदने की खबरें एक साथ हो तो उसका आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा इसका अनुमान लगाया जा सकता है। क्योंकि जब प्रशासन ने ओ.पी.एस. के लिये एन.पी.एस. में दिये गये आठ हजार करोड़ केंद्र से वापस मांगे तब उसे पता था कि इस एक्ट में पैसे वापस दिये जाने का प्रावधान नहीं है। इसलिये कर्ज लेने के प्लान बी पर सरकार को चला दिया जिसके परिणाम दूरगामी होंगे।

जब सरकार वित्तीय संकट से जूझ रही हो तो उसी समय यदि उसके राजनीतिक समीकरण भी गड़बड़ाने लग जायें तो ऐसी स्थिति से बाहर निकलना आसान नहीं होगा।

मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियों से फिर उठे वैधानिक सवाल

- सीपीएस अधिनियम की वैधता का मामला उच्च न्यायालय मे लंबित है
- प्रदेश उच्च न्यायालय एक बार ऐसी नियुक्तियों को अवैध करार दे चुका है
- देश के आठ उच्च न्यायालय ऐसे प्रयासों को असंवैधानिक करार दे चुके हैं
- जुलाई 2017 में सर्वोच्च न्यायालय असम के मामले में ऐसे अधिनियम को असंवैधानिक कह चुका है
- पिछली सरकार में नहीं हुई थी ऐसी नियुक्तियां

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने मन्त्रीमण्डल के विस्तार से पहले छः मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियां करके प्रदेश में एक वैधानिक बहस छेड़ दी है। क्योंकि पूर्व में भी एक समय स्व. वीरभद्र सिंह ने अपनी सरकार में मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियां की थी। इन नियुक्तियों को संसद द्वारा संविधान के 91 संशोधन के तहत लाये गये प्रावधानों के उल्लंघना करार देते हुए प्रदेश उच्च न्यायालय में सिटीजन प्रोटेक्शन फॉर्म ने चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने इन नियुक्तियों को असंवैधानिक करार देते हुये तुरन्त प्रभाव से इन सचिवों को अपने पदों से हटा दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने फिर इस आश्य का अधिनियम पारित करके ऐसी नियुक्तियों के लिए पुनः ही मार्ग प्रशस्त कर दिया। लेकिन इसी बीच देश के कई अन्य राज्यों में ऐसी नियुक्तियां की गयी। इन राज्यों में भी ऐसी नियुक्तियों को अदालतों में चुनौतियां दी गयी। देश के आठ उच्च न्यायालय अपने – अपने राज्य में ऐसी नियुक्तियों को रद्द कर चुके हैं। असम राज्य का मामला तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था और सर्वोच्च न्यायालय ने 26 जुलाई 2017 को असम के अधिनियम को असंवैधानिक करार देते हुए स्पष्ट कहा है कि राज्य विधायिका को ऐसा अधिनियम पारित करने का अधिकार ही नहीं है। इसी परिदृश्य में हिमाचल के अधिनियम को भी एक अधिवक्ता मनिकताला ने प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दे रखी है। जो अब तक लंबित है। इसी कारण से पिछली सरकार में ऐसी नियुक्तियां नही की गयी थी। अब सुक्खू सरकार द्वारा यह नियुक्तियां करने से ''एक कारण'' पैदा हो गया है। इस पर उच्च न्यायालय में लंबित मामले पर तत्काल प्रभाव से सुनवाई की मांग आयेगी और मामला सर्वोच्च तक भी जा सकता है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि यदि इस वस्तुस्थिति की पूरी जानकारी मुख्यमंत्री को नहीं थी तो क्या प्रशासन भी इस बारे में बेखबर था। या मुख्यमंत्री ने प्रशासन की राय को अनसुना कर दिया है। चर्चा है कि विधि सचिव ने मुख्यमंत्री को तथ्यों से अवगत करवा दिया था। माना जा रहा है कि पार्टी के भीतर और बाहर यह एक बड़ी बहस का मुद्दा बनेगा। क्योंकि तीन गैर विधायकों को सरकार कैबिनेट रैंक में नियुक्तियां दे चुकी हैं। अगले मन्त्रीमण्डल के विस्तार के समय यह वैधानिक प्रश्न अवश्य उठेगा। ऐसा माना जा रहा है मुख्यमंत्री को निष्पक्ष राय नहीं मिल रही है।